न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर संख्या :–660/2019

ओबरा थाना कांड संख्या :–222/2019

15.10.2019 आवेदक ट्रक निबंधन संख्या–UP67AT2588 के स्वामी अजीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक–27.08.2019 को दाखिल आवेदन को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अ0 प0 को दी गई है ।

उपरोक्त आवेदन दिनांक–27.08.2019 के आलोक में आवेदक अजीत कुमार के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि उक्त जप्त ट्रक निबंधन सं0–UP67AT2588 ओबरा थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है । उक्त वाहन का स्वामी उक्त आवेदक है । आवेदक के वाहन से वैध चालान के तहत बालू का परिवहन किया जा रहा था । आवेदक के द्वारा चालान की छायाप्रति अभिलेख पर दाखिल किया गया है । वाहन जप्त रहने से वाहन मालिक को आर्थिक नुकसान हो रहा है । अतः आवेदक ट्रक मालिक अजीत कुमार के पक्ष में उक्त वाहन को मुक्त किया जाय । वाहन की मुक्ति हेतु न्यायालय का जो भी आदेश होगा, आवेदक उसका पालन करेगा ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परिशीलन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त ट्रक निबंधन सं0–UP67AT2588 ओबरा थाना में जप्त है । उक्त वाहन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त वाहन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दर्शित किया गया है कि '' उक्त वाहन पर लदे अवैध बालू के सम्बन्ध में प्रतिवेदन की माँग जिला खानन पदाधिकारी, औरंगाबाद से की गई है लेकिन प्रतिवेदन अप्राप्त है, जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के विन्दु पर कांड का अनुसंधान बाकी है।'' उक्त वाहन का स्क्रीन प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी चन्दौली के पत्रांक–1897/सा0प्र0/UP67AT2588/ट्रक/सत्यापन/19 दिनांक–26.09.2019 के तहत समर्पित किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का स्वामी अजीत कुमार, निबंधन संख्या–UP67AT2588, इंजन संख्या–ISBE5.91804081J63729365, चेसिस संख्या– MAT541057J1J28414 है । आवेदक की ओर से उक्त वाहन का स्वामित्व प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज की की मूल प्रति दाखिल किया गया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाहन का निवंधन संख्या, चेसिस संख्या एवं इंजन संख्या, स्क्रीन प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त वाहन का दुरूस्ती की वैधता दिनांक–14.10.2020 तक, कर की वैधता दिनांक–30.11.2019 तक, परमिट की वैधता दिनांक–24.10.2023 तक एवं बीमा की वैधता दिनांकः–10.10.2020 की मध्य रात्रि तक है । आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई दावेदार उक्त वाहन के सम्बन्ध में अभी तक नही आया है । उक्त वाहन की मूल दस्तावेज मिलान करने के उपरांत, मूल दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया गया । अनुसंधानक के द्वारा यह प्रतिपेदित किया गया है कि खानन विभाग को राजस्व क्षति का पैसा आवेदक के द्वारा जमा नही कराया गया है, इसलिए उक्त वाहन की आवश्यकता अनुसंधान के दौरान है । अनुसंधानक के द्वारा प्रतिवेदन में यह दर्शित नही किया गया है कि उक्त वाहन को जप्त रखाने में अनुसंधान में क्या मदद मिलेंगी । उक्त वाहन दिनांक–09.08.2019 से जप्त है । अभिलेख पर बालू से सम्बन्धित चालान की छायाप्रति आवेदक के द्वारा दाखिल किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि जिस तारीख को उक्त वाहन को जप्त किया गया है, उस तिथि तक के लिए चालान की वैधता रही है ।

लगातार

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी0आर संख्या :–660/2019

ओबरा थाना कांड संख्या :–222/2019

लगातार

15.10.2019 अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदक अजीत कुमार के पक्ष में उक्त जप्त ट्रक निबंधन संख्या–UP67AT2588, इंजन संख्या–ISBE5.91804081J63729365, चेसिस संख्या–MAT541057J1J28414 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में आवेदक अजीत कुमार के पक्ष में उक्त ट्रक निबंधन संख्या–UP67AT2588 को मो0–40,00,000X1 के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधापत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का ऑनर बुक, बीमा की प्रति, उक्त वाहन का चालक का अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं उक्त वाहन का सम्बन्धित कार्यालय द्वारा रोड परमिट की निर्गत प्रति की छायाप्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त वाहन को घटना के समय चालक के रूप में कौन कार्यरत था नाम दर्शित करेगा, वाहन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके रंगरूप–स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नही करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं वाहन से सम्बन्ध जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी ओबरा को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त वाहन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधापत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।